


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.2024	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1, 12 व 14 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1, 12 व 14 के वकील को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बामसीन तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 976/249, 1261/244 व 1263/244 रकबा कमशः 0.9712, 01.4569 व 01.4569 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
सिबाना (कड़मेस)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क: वाद / 2024 / 75

दिनांक : 11.01.2024

प्रार्थी  
हनुमानराम पुत्र नगाराम वगैरा

बनाम

विप्रार्थीगण  
मोटाराम पुत्र सवाराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये  
पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं:-46/2022

दिनांक:-01.01.2024

--: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम बामसीन तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 976/249, 1261/244 व 1263/244 रकबा क्रमशः 0.9712, 01.4569 व 01.4569 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/-प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमहाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 11.01.2024

क्रमांक: वाद / 2024 / 76-79

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी बामसीन को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री हनुमानराम पुत्र नगाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदड़ी जिला बालोतरा वगैरा को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)